

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
कुरुक्षेत्र ।

7

आदेश क्रमांक जी. 3/2001/ 2004 30

दिनांक : 17-1-2001

डी. ए. वी. उच्च विद्यालय, लुखी, कुरुक्षेत्र को आठवों स्तर तक माध्यमिक स्तर तक स्थाई मान्यता दिनांक 4-2-2001 से जारी की जाती है स्थाई मान्यता जिला स्तरीय कमेटी द्वारा विद्यालय के निरीक्षण उपरांत की गई सिफारिश के आधार पर प्रदान की जाती है ।
यदि निम्नलिखित है :-

1. संस्था विभाग से किसी भी प्रकार की ग्रांट की मांग नहीं करेगी तथा विद्यालय को अपने ही खर्च पर चलाएगी ।

2. विद्यालय विभाग/बोर्ड द्वारा जारी हिदायतों को पूर्णतया पालना करेगी ।

3. विद्यालय के स्टाफ के 6 मास के वेतन को शेष राशि 31.12.2001 तक जिला शिक्षा अधिकारी के नाम प्लेज करवाएंगे ।

4. विद्यालय शिक्षा बोर्ड में अंकित धारा 159, 214 से 239 तक सभी शर्तों को पूर्णतया पालना करेगा ।

5. विद्यालय को मान्यता को अनुमति किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है विद्यालय का आडिट विभागीय नियमानुसार करवाया जाएगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे जाने वाले सभी निधियां समय पर भेजी जाएं ।

6. मान्यता के संबंध में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन सी. डब्ल्यू. पी. नं. 8294/97 का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा ।

7. विद्यालय में खेल के मैदान एवं श्रेणी कक्षाओं की छात्रों के अनुसार व्यवस्था की जाएगी ।

शीशपाल सिंह यादव

जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र ।

दिनांक सम :

5. क्रमांक सम :

इतनी रकम प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, लैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।


2. सभा जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य ।


3. सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।

4. मुख्यअध्यापक डी. ए. वी. उच्च विद्यालय, लुखी, कुरुक्षेत्र ।

5. प्रबन्धक डी. ए. वी. उच्च विद्यालय, लुखी, कुरुक्षेत्र ।

6. उपसमूह जिला शिक्षा अधिकारी, धानिसर ।


Principal Vice-Chairman
D.A.V. Public School
LUKHI (Kurukshetra)


जिला शिक्षा अधिकारी
कुरुक्षेत्र ।